



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.


प्रकरण संख्या / 106 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:-27.10.2020
GCMS No.:-2020/00365

श्री गोपीराम अग्रवाल, आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 18.11.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 106/2020/(17.11)/703 दिनांक 29.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 17.11.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 17.11.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

दिनांक 17.11.2020 का राजकीय अवकाश घोषित हो जाने से पत्रावली दिनांक 18.11.20 को पेश हुई। रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी दिनांक 18.11.2020 को भी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 106/2020 (सू.अ.)
श्री गोपीराम अग्रवाल आर टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/433 दिनांक 05.11.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह कि प्रार्थी श्री गोपीराम अग्रवाल, आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 15.09.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में दिनांक 09.07.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/मूल/55 दिनांक 24.08.2020 से प्राप्त कुल किता 11 के प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2512 दिनांक 25.08.2020 को कुल किता 11 के सूचना भिजवाई गई थी।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना इस कार्यालय के उक्त वर्णित पत्रांक 2512/2020 दिनांक 25.08.2020 से भिजवाई जाने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2595 दिनांक 23.09.2020 से अवगत कराया गया। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना पत्रांक 2512/2020 दिनांक 25.08.2020 से उपलब्ध कराये जाने एवं पत्रांक 2595/2020 दिनांक 23.09.2020 से सूचना भिजवाये जाने के संबंध में अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/433 दिनांक 05.11.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आवेदन



लोक सूचना अपीलार्थी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



<p>प्रकरण संख्या 106/2020 (सू.अ.) श्री गोपीराम अग्रवाल आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़</p>

दिनांक 08.09.2020 से वांछित सूचना, पत्रांक 2512/2020 दिनांक 25.08.2020 से किता 11 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध कराया जाना बताया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 2512 दिनांक 25.08.2020 से जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 09.07.2020 के संबंध में उपलब्ध कराई गई है तथा अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक 08.09.2020 को नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर सूचना/प्रमाणित प्रतियां चाही गई है जो उसे उपलब्ध कराया जाना नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचनाएं निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावे।



(Handwritten Signature)
(के. के. शर्मा)

लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 18/11/2020

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./106/2020(सू.अ.)/723

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गोपीराम अग्रवाल, आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा (राज.)

(Handwritten Signature)
लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)